



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे.1759 दि. 26.03.18


आदेश

विषय:- राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण नियम-2016 के अन्तर्गत पीड़ित पक्ष को विद्युतीकरण में सहायता के सम्बन्ध में।

राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण नियम-2016 के अन्तर्गत पीड़ित पक्ष को विद्युतीकरण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये प्रकरणों में आवेदन करने पर पीड़िता और उसके परिवार को सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में जारी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत एक बार निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाया जावेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से


(एम. आर. मीणा)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 01